

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(सचलदल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊः दिनांक :: ४ अक्टूबर, २०१३

### आदेश

प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहन किए जा रहे माल के संबंध में व्यवधान रहित मूवमेंट ( Hassle Free Movement ) तथा ऐसे माल के संबंध में हो रही कर अपवंचना की रोकथाम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम , 2008 की धारा 21 की उपधारा (7-A) तथा ३०प्र० मूल्य संबंधित कर नियमावली, 2008 के नियम 40 के उपनियम (17) के अधीन तथा उनमें विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस हेतु शासन द्वारा ३०प्र० मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2008 की धारा 21 की उपधारा (4) में नोटिफाइड निम्नानुसार वर्णित माल के उपर्युक्तानुसार परिवहन के संबंध में "ई-संचरण" की व्यवस्था लागू करते हुए निम्न निर्देश दिए जाते हैं -

- 1- उक्त उपधाराओं के प्रयोजनार्थ प्रविष्टियाँ वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट <http://comtaxup.nic.in> पर की जायेंगी ।
- 2- "विशिष्ट संचरण नम्बर" प्रश्नगत माल के वाहन सहित प्रदेश से प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश से प्रदेश के बाहर परिवहन आरम्भ करने से पहले प्रश्नगत विक्रेता व्यापारी द्वारा जेनरेट किया जाएगा तथा इस नम्बर का sms , जो सिस्टम से प्राप्त होगा , उसे वाहन चालक/ट्रांसपोर्टर को फॉरवर्ड ( forward ) किया जाएगा । वाहन चालक द्वारा इस sms को प्रदेश में माल के मूवमेंट के आरम्भ होने से लेकर माल के गन्तव्य तक अपने साथ रखा जाएगा ।
- 3- सर्वप्रथम व्यापारी को उक्त विभागीय वेबसाइट पर अपना मोबाइल नम्बर को रजिस्टर कराना होगा । इसके लिए उक्त विभागीय वेबसाइट पर अपना टिन नम्बर , नाम व पता , ई-मेल आई डी तथा इस व्यवस्था हेतु चयनित निम्नलिखित उन व्यापारिक वस्तुओं में से जिनके लिए वह प्रदत्त विभागीय प्रान्तीय पंजीयन द्वारा अधिकृत है , का उल्लेख इनके सम्मुख वर्णित कोड सहित करना होगा । ऐसा करते ही मोबाइल नम्बर रजिस्टर हो जाएगा । यह कार्य केवल एक बार ही किया जाएगा ।
- 4- वेबसाइट पर रजिस्टर करने के पश्चात प्रिट आउट को हस्ताक्षर करके संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । वह कार्य भी सिर्फ एक बार किया जाएगा ।
- 5- प्रश्नगत व्यापारी द्वारा उक्त प्रिट आउट के प्रस्तुत करने के अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर में अनुमोदन किया जाएगा जिसके बाद व्यापारी के ई-मेल आई डी पर तथा मोबाइल नम्बर पर तत्काल पासवर्ड sms हो जाएगा । पासवर्ड गोपनीय रहेगा , अतः आवश्यक है कि व्यापारी अपना ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नम्बर अंकित करेंगे । इस प्रकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी । यह प्रक्रिया केवल एक बार ही की जाएगी ।
- 6- प्रत्येक टिन के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पृथक-पृथक रखना आवश्यक है अर्थात् एक मोबाइल नम्बर तथा एक ई-मेल आई डी एक से अधिक टिन नम्बर के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी ।

- 7- यदि कोई व्यापारी पूर्व में ही फार्म-38 से आयात के संबंध में "ई-संचरण" की सुविधा का उपभोग कर रहा है तो उसे फार्म-XXI के संबंध में लागू इस "ई-संचरण" की सुविधा हेतु पुनः अपने मोबाइल को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही इस हेतु उसे नया password भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 8- उक्त के पश्चात व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर रजिस्टर किए गए ई-मेल आईडी0 तथा मोबाइल नम्बर पर प्रेषित किए गए पासवर्ड के माध्यम से लाग आन किया जायेगा। इसके पश्चात व्यापारी द्वारा "विशिष्ट संचरण नम्बर" जैनरेट करने हेतु उपलब्ध विवरण एन्ट्री स्क्रीन पर भरा जाएगा। व्यापारी द्वारा विक्रेता से संबंधित सूचना अंकित करने के पश्चात डाटा को save किया जा सकता है। save करने पर व्यापारी को टोकन नम्बर प्राप्त हो जाएगा।
- 9- प्रदेश के पंजीकृत क्रेताव्यापारी द्वारा इस टोकेन नम्बर की सहायता से शेष विवरण को भरा जाएगा। समस्त विवरण को भरने के उपरान्त "विशिष्ट संचरण नम्बर" जैनरेट हो जाएगा।
- 10- आन लाइन फार्म-21 में व्यापारी द्वारा निम्न विवरणों का भरना अनिवार्य होगा :-
- (1) अपना टिन नम्बर
  - (2) वस्तु का नाम
  - (3) परिमाण
  - (4) वजन
  - (5) वस्तु का मूल्य
  - (6) टैक्स इन्वाइस / सेल इन्वाइस / चालान नम्बर व दिनांक
  - (7) गन्तव्य स्थान
  - (8) क्रेता / कन्साइनी का नाम व पता
  - (9) क्रेता / कन्साइनी का टिन नम्बर (यदि क्रेता अपंजीकृत है तो उसके टिन के समक्ष 09000000000 की प्रविष्टि की जाएगी )
  - (10) वाहन संख्या
  - (11) जहाँ से माल लादा गया है , उस स्थान का नाम
  - (12) माल के मूवमेंट प्रारम्भ होने का दिनांक तथा समय
- 11- आन लाइन फार्म-21 की उक्त प्रविष्टियाँ करने के उपरान्त रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर "विशिष्ट संचरण नम्बर" sms हो जाएगा। इस विशिष्ट संचरण नम्बर को व्यापारी प्रश्नगत माल के आयात के लिए ट्रांसपोर्टर/ ड्राइवर को फारवर्ड करेगा।
- 12- "विशिष्ट संचरण नम्बर" की उपर्युक्त व्यवस्था अभी केवल निम्न वस्तुओं के लिए लागू की जा रही है -

क्र0सं0	वस्तु का नाम	कोड संख्या
1	मैथा आयल / डीमैथॉलाइज्ड आयल ( डी0एम0ओ0 ) / मैथॉल	002
2	सुपाड़ी	003
3	आयरन एण्ड स्टील	005
4	सीमेंट	007

- 13- उपर्युक्त वस्तुओं के संबंध में भी व्यवस्था केवल 50 किमी0 भार के 300 बोरी सीमेंट , 09 टन आयरन एण्ड स्टील तथा सुपारी के 70 किमी0 भार वाले 50 बैग तथा इससे अधिक माल के एक व्यापारी /

उत्पादक द्वारा किए जा रहे परिवहन पर ही लागू होगी। इस मात्रा से कम वजन के उक्त माल के परिवहन हेतु "विशिष्ट संचरण नम्बर" की यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मैथा आयल / डीमैथॉलाइज्ड आयल (डी0एम0ओ0) / मैथॉल के संबंध में ₹0 50,000/- से अधिक मूल्य की इन वस्तुओं के परिवहन के लिए ही "विशिष्ट संचरण नम्बर" की सुविधा लागू होगी।

- 14- द्वाइवर को इस "विशिष्ट संचरण नम्बर" को sms के रूप में माल के परिवहन के समय , माल के गन्तव्य पर पहुंचने तक साथ लेकर चलना होगा तथा इसे जाँच के समय जाँच अधिकारी को दिखाना होगा ।
- 15- यदि माल के परिवहन के दौरान विशेष परिस्थितियों में वाहन परिवर्तित होता है तो इसमें आन लाइन परिवर्तन किया जा सकता है। यह कार्य संबंधित व्यापारी द्वारा ही किया जा सकेगा।
- 16- यदि परिवहित माल के गन्तव्य एक से अधिक हैं तो प्रत्येक गन्तव्य के लिए पृथक-पृथक "विशिष्ट संचरण नम्बर" उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा ।
- 17- प्रत्येक प्रान्तीय क्रेता के लिए प्रान्त के विक्रेता द्वारा एक "विशिष्ट संचरण नम्बर" जेनरेट किया जाएगा अर्थात् यदि प्रान्तीय क्रेता एक से अधिक हैं तो ऐसे सभी क्रेताओं के लिए उतने ही पृथक-पृथक "विशिष्ट संचरण नम्बर" ऐसे विक्रेता को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट करने होंगे।
- 18- यदि प्रान्तीय क्रेता के एक ही तिथि में एक से अधिक बिल हैं तो उनके लिए एक ही "विशिष्ट संचरण नम्बर" आवश्यक होगा तथा इनकी प्रविष्टियाँ टैक्स इन्वाइस / सेल इन्वाइस / चालान नम्बर व दिनांक के आगे की जायेंगी ।
- 19- यदि एक से अधिक विक्रेता के बिलों के माल का आयात किया जा रहा है तो प्रत्येक विक्रेता के संबंध में पृथक-पृथक विशिष्ट संचरण नम्बर उक्त प्रक्रिया के अनुसार जेनरेट किया जाएगा ।
- 20- उपर्युक्त 04 वस्तुओं के संबंध में उक्तानुसार माल के परिवहन के संबंध में "विशिष्ट संचरण नम्बर" की प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण समझा जाएगा। जाँच अधिकारी पंजीकृत मोबाइल नम्बर से इस "विशिष्ट संचरण नम्बर" का सत्यापन 9212357123 पर sms के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
- 21- यदि इस अधिनियम की धारा -45 तथा धारा-48 में अधिकृत अधिकारी द्वारा अन्यथा कारणों से , इनका उल्लेख करते हुए वाहन को डिटेन किया जाएगा , तब वाहन में लदे माल के संबंध में सभी प्रपत्र अर्थात् टैक्स इन्वाइस / सेल इन्वाइस / चालान / बिल्टी आदि संबंधित अधिकारी को मूल रूप में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे , जिनके संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही निष्पादित की जाएगी ।
- उक्त आदेश दिनांक 28-10-2013 से प्रभावी होंगे । तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

मा  
मृत्युंजय कुमार नारायण )  
कमिशनर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

## प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष,उ०प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ०प्र० शासन,लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ ( दो प्रतियो में )
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ०प्र० ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिशनर,ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०स०द०) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केंद्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक,इसेटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट ऑफिस आफ द ए०जी०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,  
इलाहाबाद।  
(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा ।  
(18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेंट कमिशनर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।  
(19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी ०कमि०/असि०कमि०(उ०न्या०कार्य०)लखनऊ/इलाहाबाद।  
(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियो में ।  
(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियो ।  
(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।  
(23) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेरर एसो० 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी,बांसमण्डी, लखनऊ ।  
(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।  
(25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द  
(सहारनपुर) उ०प्र० ।  
(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,८७/३४९ आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।  
(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, ६६,शास्त्री नगर,लखनऊ ।  
(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , २९बी विधायक निवास दारुलसुफा लखनऊ।  
(29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,१४/२६ सिविल लाइन्स कानपुर ।  
(30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० २/३०२ विकास खण्ड ४/१८० गोमती नगर लखनऊ ।  
(31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० १ ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।  
(32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड,लखनऊ ।  
(33) आल इन्डिया मैन्युफैकर्स आर्गेनाइजेशन डी-४ साइट संच्चा ३ मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल परिया गाजियाबाद ।  
(34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर,लखनऊ ।  
(35) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के  
माध्यम से ।  
(36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।  
(37) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय १/२७४, चिरंजीव विहार,  
निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।  
(38) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार,एस०एस०कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।

- (39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०प्र० शासन २६/१०३ बिरहना रोड कानपुर।
- (40) प्रो० डा० मुरेन्द्र नाथ डीन फैकलटी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (41) प्रो० श्रीमती रंजना कवकड़, १५ टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (42) डा० छेदी लाल साथी, ए-५/१५७९ इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (43) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि० य०पी०टैक्स बार एसो० ४५ चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
- (44) श्री अशोक ध्वन सी के -२४/ १,कुंजगली,चौक,वाराणसी।
- (45) श्री पी०एस०जैन, १३८ ए ब्लाक ए सेक्टर २७ नोयडा।
- (46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ०प्र०टूक आपरेटर्स,फेडरेशन (रजि०),पुलवाल मण्डी सहारनपुर।
- (47) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी,इलाहाबाद।
- (48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी ६०चाहचन्द इलाहाबाद।
- (49) श्री शैलेश मिश्र, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश ,१९ सुरेशबाग, कानपुर।
- (50) इन्डियन इण्ड०एसो०, १५९/ए -४, १५ प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु०नगर।
- (51) संयोजक,टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेस्टर्न य०पी०५२,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० ५१-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (54) श्री अनिल कुमार बंसल दि० य०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० ३-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
- (55) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्युसर्स एसो० ५१/५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० ५६५/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (57) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,(पैंजी०-बी-२९,विधायकनिवास, दारल सफा,लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , ३०प्र०, ६ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए,३० बी०एन०रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन,विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
- (61) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पैंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष तार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- १५/५ राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्र, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-५१, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, य०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,१ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, २४४/६५, यहियांगंज, लखनऊ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-१९४, सेक्टर-१०, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (य०पी०)।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, य०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ ४३, सेक्टर-११, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ( उत्तर प्रदेश )
- (75) अध्यक्ष, य०पी०मोटर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन (रजि०) १३३/२९६-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।

१०१८  
(योगेन्द्र कुमार)  
एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर  
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश